न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 36 / 2015

1 सुल्तान पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी विजयपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रणजीत पुत्र पुराराम।

2 पीथाराम पुत्र बेगाराम।

3 रामकुमार पुत्र आशाराम समस्त जाति जाट निवासीगण विजयपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 रूपा अग्रवाल पत्नी जयप्रकाश जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 2/18 हाउसिंग बोर्ड देवीपुरा सीकर हाल आबाद जयनिवास चान्दपोल गेट के बाहर वार्ड नम्बर 20 सीकर तहसील व जिला सीकर।

5 सोनु पोदार पत्नी मनीष पोदार जाति महाजन निवासी मकान नं. 2/18 हांऊसिंग बोर्ड देवीपुरा सीकर।

6 सोनम अग्रवाल पत्नी हेमनन्द अग्रवाल जाति महाजन निवासी जयनिवास चांदपोल गेट के बाहर वार्ड नं 20 सीकर तहसील व जिला सीकर।

7 मूंगाराम पुत्र बेगाराम।

8 बजरंगलाल पुत्र बेगाराम।

9 गोपाल पुत्र पुराराम समस्त जाति जाट निवासीगण विजयपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

10 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सेवद बड़ी तहसील व जिला सीकर जरिये मैनेजर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 बड़ौदा रा0 शे0 बैंक शाखा सेवद बड़ी तहसील व जिला सीकर जरिये मैनेजर।
12 शेखावाटी ग्रामीण बैंक बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार महोदय तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015
बसिलसिले दावा अनुवानी रणजीत बनाम पीथाराम आदि
दावासंख्या 40/2014 न्यायालय सहायककलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री हरफुल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 40/2014 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 रणजीत ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 लगायत 13 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ सीकर के यहा एक दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 255 तन ग्राम विजयपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 14.03.2015 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि सुल्तान पर नोटिस की विधिवत तामील नही हुई है वह विदेश गया हुआ था आदेश 5 नियम 25 की पालना नही हुई है। विचारण न्यायालय ने विधिवत तामील मानकर 17.09.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी। विचारण न्यायालय ने 17.09.2014 की आदेशिका में प्राथमिक डिक्री जारी नही की। अपितु सीधे विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर लिये। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति भी नही ली। विभाजन प्रस्तावो में सभी का बंटवारा भी नही किया, वादीगण की भूमि अलग कर शेष को शामिल रख दिया गया है। तहसीलदार द्वारा स्वयं विभाजन प्रस्ताव भी तैयार नही किये गये है। अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने 17.09.2014 की आदेशिका में मात्र प्राथमिक डिक्री जारी करने का अंकन नही किया किन्तु इससे प्राथमिक डिक्री जारी नही होना नही माना जा सकता है। 17.09.2014 के आदेश को चुनौती नही दी गई है। तामील की आपत्ति अपीलांट अब नही उठा सकते है। धारा 97 सीपीसी के अनुसार प्राथमिक डिक्री को चुनौती नही दिये जाने के कारण अन्तिम डिक्री का चुनौती नही दी जा सकती है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है, प्रति हस्ताक्षर नही है। अत तहसीलदार द्वारा तैयार करना माना जायेगा। सभी खातेदारो की भूमि विभाजित करना आवश्यक नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है, पोषणीय नही है। खारिज की जावें।

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उन्होने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी ही नही की तो अपील कैसे करते विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2019 पेज 663, आर. आर.डी. 2017 पेज 473 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन आदेश 9 नियम 13 एवं विचारण न्यायालय की आदेशिका की सत्यप्रति आदेश 41 नियम 27 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। जो लोक दस्तावेज होने के कारण न्यायाहित में स्वीकार किये जाते है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 17.09.2014 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव बनवाने के आदेश दिये है किन्तु प्राथमिक डिक्री जारी नही की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में जो विभाजन प्रस्ताव संलग्न है उन पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है। तहसीलदार द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव हेतु सूचित किया गया हो। ऐसा भी साक्ष्य पत्रावली पर नही है। प्रकरण में एक पक्षकार दौराने विचारण दावा विदेश रहने का कथन आया है कि इसके सम्बंध में सम्यक तामील का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2019 पेज 663 में प्रतिपादित किया गया है कि " Rajasthan Tenancy Act, Section 224- Trial court passed decree in favour of plaintiff in a suit of Section 88 & 53- Appeal against this order was rejected - Second appeal before Board - Held - Trial court cursorily passed the order without complying with Revenue Rules - Before passing preliminary decree trial court should have sought report from Tehsildar in detail about division among co-tenants - Case remanded with trial court.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नही की गई है। यद्यपि मौका रिपोर्ट के अन्त में तहसीलदार के हस्ताक्षर है किन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि यदि रिपोर्ट तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार की जाती तो मौका रिपोर्ट के प्रथम पेज पर सम्बोधन स्वंय तहसीलदार के नाम से अंकित नही होता। इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2017 पेज 473 में अभिनिर्धारित किया गया है कि'' Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules - Rr. 18 to 21 - Reference - Preparation of proposal for division by the Tehsildar is whether mandatory and/or he may delegate the powers - Held - Provision of Rr. 18 to 21 are mandatory and Tehsildar himself inspect the site and prepare the proposal for division of holdings.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही पाया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर